

चीनी उद्योग की मुश्किलें सुलझाएगा केंद्र

मोदी सरकार ने मिलों और गन्ना किसान संगठनों की 14 अगस्त को बुलाई बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक मुश्किलों से हलकान उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों के पेटाई शुरू करने से मना करने का मुद्दा शुक्रवार को संसद में गुंजा। सरकार ने घाटे से जूझ रही मिलों की आर्थिक मुश्किलों को सुलझाने का भरोसा दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में कहा कि मिलों के वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं।

पासवान ने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए मिलों को 6,600 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज का इंतजाम किया है। मिलों की मुश्किलों को सुलझाने के लिए पेट्रोल में 10 फीसद तक एथनॉल मिश्रित करने की अनुमति पेट्रोलियम मंत्रालय से भी मिल चुकी है। चीनी उद्योग से जुड़े सभी पक्षकारों किसान संगठनों, निजी व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के मालिकों और पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक 14 अगस्त



संसद में गुंजा मुद्दा

- ♦ लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर खाद्य मंत्री पासवान ने दिया जवाब
- ♦ गन्ना किसानों को भुगतान के लिए किया गया है ब्याज मुक्त कर्ज का इंतजाम



को बुलाई गई है। इसमें चीनी उद्योग की समस्याओं को सुलझाने के लिए समग्र रूप से विचार किया जाएगा।

खाद्य मंत्री ने माना कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के हालात चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने जब मंत्री पद संभाला उस समय गन्ना

बकाया 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था। 15 जून तक बकाये का यह आंकड़ा घटकर 4,632 करोड़ रुपये रह गया। लेकिन अब मिलों के पास नकदी नहीं होने से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ने लगी है। घाटे से परेशान मिलों ने

तालाबंदी की घोषणा कर रखी है। इसके उलट नाराज किसान सड़कों पर आंदोलन करने को उतारू हैं। लोकसभा में भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह और कृष्णराज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूछे सवालों का पासवान जवाब दे रहे थे। दोनों सदस्यों ने कहा कि मिलें किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकतीं, उन्हें गन्ना भुगतान करना चाहिए। यह राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह भुगतान कराए। पासवान ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई बैठक में पेट्रोल में 10 फीसद तक एथनॉल मिलाने का फैसला हो गया है। इससे चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को फायदा होगा। उद्योग की एक थी कि चीनी आयात शुल्क 15 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद कर दिया जाए। मगर घरेलू बाजारों में चीनी के मूल्य में 4-5 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की आशंका को देखते हुए इसे रोक दिया गया है।

दोनी क जागरण

9-18-14

✓